न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

वाद सं0 65/2020

प्रथम पक्ष– नईम खान पिता सुदीम खान........।

बनाम

द्वितीय पक्ष– जवार खान पिता स्व0 लतीप खान बगैरह.... ।.

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 25/6/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 35/2020 दिनांक 20/11/2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) नईम खान उम्र 45 वर्ष पिता सुदीम खान (2) अलीम खान उम्र 55 वर्ष पिता मोबीन एकबाल खान (3) मोबीन खान उम्र 50 वर्ष पिता अलीबक्सा खान (4) आजीम खान पिता स्व0 मोमोहदीन खान (5) गुलाम हुसैन उम्र 25 वर्ष पिता अजीम खान (6) क्यूम खान पिता सुदीन खान उम्र 30 वर्ष (7) सुफिया खान उम्र 20 वर्ष पिता अजीम खान सा0 टेंगरा थाना बसिया जिला गुमला बनाम **द्वितीय पक्ष** (1) जवार खान पिता स्व0 लतीप खान (2) सलमान खान उम्र 28 वर्ष (3) रतिया खड़िया पिता धीरन गोप सा0 बोंगालोया (4) रामवृत गोप उम्र 50 वर्ष पिता धीरन गोप सा0 बोंगालोया (5) रामा गोप उम्र 45 वर्ष पिता कपीलनाथ गोप ग्राम नगर थाना सिसई (6) मुकेश गोप पिता बंधु गोप उम्र 25 वर्ष (7) राजू गोप उम्र 25 वर्ष (8) रमेश गोप दोनो पिता लुदवा गोप सा0 बोंगालोया थाना थाना बसिया जिला गुमला के बीच नदी से बालू निकालने को लेकर आपसी विवाद एवं तनाव को लेकर आपसी तनाव एवं विवाद संबंधी वाद को लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्य से उपस्थित हुए :– वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। अतः उभय पक्षो के बीच वाद समयवधि में किसी प्रकार का शांति भंग होने संबंधी सूचना अप्राप्त होने वाद की समयवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) [मुहर] अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2025.12.24 14:51:19 +05:30
Location: 192.168.1.37